न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 04/2021

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

थानाराम पुत्र चेनाजी, जाति– माली, निवासी– फुंगणी, तह. व जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 05 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी थानाराम पुत्र चेनाजी, जाति– माली, निवासी– फुंगणी के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम फुंगणी के पुराना खसरा संख्या 430 रकबा 0.0640 हेक्टेयर भूमि का आवंटन गैर खातेदारी के तौर पर अप्रार्थी थानाराम पुत्र चेनाजी, जाति– माली, निवासी– फुंगणी को हुआ था, जिसके वर्तमान खाता संख्या 247 खसरा संख्या 815/430 रकबा 0.0640 हेक्टेयर किस्म पडत ाा है। यह कि वर्ष 2068, 2069, 2070 व 2071 की खसरा गिरदावरी की नकल के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कोई काश्त नही करना प्रमाणित होता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का संवत 2067–2071 तक में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी थानाराम पुत्र चेनाजी, जाति– माली, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी के पुराने खसरा संख्या 430 रकबा 0.0640 हेक्टेयर (जिसके नये खसरा संख्या 815/430 रकबा 0.0640 हेक्टेयर है) भूमि का आवंटन गैर खातेदारी तौर पर हुआ था। अप्रार्थी का संवत 2067–2071 तक में उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री माथुर ने अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2004(1) पृष्ठ 352–356 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम फुंगणी, पटवार फुंगणी के खसरा संख्या 815/430 रकबा 0.0640 हेक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार गत 41 वर्षो से अधिक समय से लगातार चला आ रहा है। ग्राम फुंगणी के मूल खसरा संख्या 430 एक बहुत बडे चक

.....पेज दो पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के रुप में राजकीय बिलानाम कृषि भूमि रही है जिसमें अलग अलग हिस्सों पर कई काश्तकारों के कई वर्षो पुराने कब्जे चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि के मूल खसरा संख्या 430 में से रकबा 0.0640 हेक्टेयर कृषि भूमि पर भी अप्रार्थी का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार गत 41 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में राजकीय बिलानाम भूमि खसरा संख्या 430 की शेष भूमि, पश्चिम दिशा में कच्चा आम रास्ता जो ग्राम फुंगणी की ओर जाता है एवं उत्तर दिशा में आशापुरा माताजी का मन्दिर व कृषि भूमि व दक्षिण दिशा में राजकीय बिलानाम कृषि भूमि खसरा संख्या 430 की शेष भूमि है। यह कि उक्त भूमि का अप्रार्थी थानाराम को प्रशासन गांव के संग अभियान में वर्ष 2010 में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया गया था एवं उक्त आवंटित कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 11.12.2010 के जरिये अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया जिसके वर्तमान खसरा संख्या 815/430 रकबा 0.0640 हेक्टेयर है। यह कि आवंटन के बाद अप्रार्थी ने उक्त आवंटित कृषि भूमि को और अधिक उपजाउ बनाने के लिये दिन रात मेहनत की व भूमि सुधार में काफी रकम खर्च की है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि आवंटन होने के बाद उक्त भूमि पर चारों ओर तारबन्दी करवाई है और उसमें पश्चिम दिशा की ओर रास्ते की तरफ लोहे का फाटक भी लगवाया, ताकि उक्त कृषि भूमि में आवारा पशु आदि प्रवेश कर फसल को नष्ट नही कर सके। इसके अलावा, इस आवंटित भूमि पर 10X12 फीट कुल 120 वर्गफीट भूमि में एक पक्का कमरा भी अप्रार्थी ने बनवाया है। उक्त कमरा फसलों को रखने, कृषि भूमि में काश्त से संबंधित औजार, उपकरण व सामान रखने तथा अप्रार्थी के बैठने–उठने और हाली के निवास हेतु काम में आता है। अप्रार्थी थानाराम द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर हर वर्ष बरसाती फसल बोई जाती है और कभी कभी मौसमी फसल की भी बुवाई करता है, लेकिन विगत 3 वर्षो से कम बारिश व कोरोना जैसी माहमारी के कारण अप्रार्थी उक्त भूमि पर फसल की बुवाई नही कर सका। अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है और आवंटित कृषि भूमि में बरसाती फसल हर वर्ष बोई जाती है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा केवल उक्त चार वर्षो की खसरा गिरदावरी ही प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4)के अनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत व द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण कृषि भूमि पर फसल की बुवाई व जुताई की गई है। मौके पर अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो का पूर्ण रुप से पालन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन नही किया गया है, यदि खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज नही किया गया है तो इस हेतु अप्रार्थी दोषी नही है। खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज करने का दायित्व संबंधित पटवारी का है। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों का यह भी दायित्व था कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करते, लेकिन अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों ने ऐसा नही कर अप्रार्थी के साथ कुठाराघात किया है। यह कि उक्त लम्बी समयावधि के बाद भी जब राजस्व अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही किया गया तो अप्रार्थी द्वारा अपनी गैर खातेदारी की भूमि को खातेदारी भूमि घोषित करवाने हेतु सहायक कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो अभी सहायक कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में लम्बित है। यह कि उक्त आवंटन नियमों के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र तब ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जब भूमि का आवंटन [illegible] के द्वारा करवाया गया हो अथवा आवंटन की शर्तो का पालन नही [illegible] हो। यह कि अप्रार्थी भूमिहीन

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

कृषक है एवं अप्रार्थी के आजीविका का सहारा भी उक्त आवंटित कृषि भूमि ही है। उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा अप्रार्थी के भूमि आवंटन की पात्रता की जांच करवाकर अप्रार्थी आवंटन हेतु पात्र व भूमिहीन व्यक्ति होने से भूमि आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर भूमि का अप्रार्थी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन हुये 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है एवं भूमि के आवंटन के 10 वर्षो बाद आवंटिती को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ''प्रशासन गांवों के संग अभियान–2010'' में भूमि आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांकःप्र.गा.स.अ./केम्प/राजस्व/2010/1476 दिनांक 11.12.2010 के द्वारा अप्रार्थी थानाराम पुत्र चेनाजी, जाति– माली, निवासी– फुंगणी को ग्राम फुंगणी, पटवार हल्का फुंगणी के खसरा संख्या 430 में रकबा 0.0640 हेक्टेयर (जिसके वर्तमान खाता संख्या 247 खसरा संख्या 815/430 रकबा 0.0640 हेक्टेयर है) भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी/आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 125 दिनांक 11.12.2010 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटिती/अप्रार्थी थानाराम पुत्र चेनाजी, जाति– माली, निवासी– फुंगणी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का यह कथन है कि ''खसरा गिरादावरी की नकल संवत 2068 से 2071 तक के अनुसार अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त नही रहा है एवं अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है।'' जबकि अप्रार्थी पक्ष का यह कथन है कि ''आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त रहा है लेकिन विगत 3 वर्षो में बरसात कम होने व कोरोना महामारी के कारण काश्त नही कर सका था। आवंटित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है।''

प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने यह प्रार्थना पत्र संवत 2068 से 2071 की खसरा गिरदावरी के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसमें उक्त आवंटित भूमि के मौके के तथ्य अंकित नही किये गये है। जबकि प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत पटवारी हल्का, फुंगणी की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 17.11.2020 में अंकित अनुसार उक्त आवंटित भूमि के मौके पर तारबन्दी की गई है एवं संवत 2072, 2073 व 2074 में खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज है। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष द्वारा जवाब में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि मौके पर भूमि में काश्त की हुई है एवं फसल बोई हुई है तथा आवंटित भूमि के मौके पर अप्रार्थी द्वारा चारों ओर तारबन्दी करवाई गई है व कमरे का भी निर्माण करवाया हुआ है। इस प्रकार, पत्रावली पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के ठोस एवं पर्याप्त तथ्य प्रतीत नही होते है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी ने मौके पर शर्तो का उल्लंघन किया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्य यह भी स्पष्ट करते है कि निरन्तर कई वर्षो से अप्रार्थी ने इस पर कब्जा किया है, उसी के आधार पर आवंटन हुआ है। मौके पर निर्माण–स्थिति व पटवारी रिपोर्ट भी इसका समर्थन करते है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 को इन

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्देशों के साथ तहसीलदार, सिरोही को पुनः प्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी थानाराम पुत्र चेनाजी, जाति— माली, निवासी— फुंगणी को आवंटित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05 नवम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested